(2)

टी०ए० मिस केस सं० 308/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **जगदीश सावैयाँ**, पिता– **स्व० रामेश्वर सावैयाँ**, ग्राम– **गितिलपी** थाना– **मुफ्फसिल** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **गितिलपी**, थाना नं०– 580,के अन्दर खाता नं०– 84 प्लॉट नं०– 827, रकवा– 0.10 डी० भूमि क्रेता **लक्ष्मी तामसोय**, पति– **सिरिल माना तामसोय** ,ग्राम– **गितिलपी**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदक के पिता के नाम से खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–102 दिनांक– 6.2.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान मरम्मति हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **लक्ष्मी तामसोय**, पति– **सिरिल माना तामसोय** ,ग्राम– **गितिलपी**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास 4,00,000.00/– (चार लाख) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल** थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ से भी ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईवासा एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **जगदीश सावैयाँ**, पिता– **स्व० रामेश्वर सावैयाँ**, ग्राम– **गितिलपी** क्रेता **लक्ष्मी तामसोय**, पति– **सिरिल माना तामसोय** ,ग्राम– **गितिलपी**, थाना– **मुफ्फसिल** के पास जमीन को कुल 4,00,000.00/– (चार लाख) रूपये में मौजा– **गितिलपी**, थाना नं०– 580,के अन्दर खाता नं०– 84 प्लॉट नं०– 827, रकवा– 0.10 डी० जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृति......दी जाती है। 18.02.2019 भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा। 18.02.2019 भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईवासा	

F:/Niraj All Work:// 1 TA MISS ORDER

Scanned with CamScanner